न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/1/2022

अपीलांट मनीष कुमार अन्याव पुत्र नवरतमल ओसवाल
निवासी वर्धमान स्कूल के पास बालोतरा जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक : 16.01.2023

अपीलार्थी मनीष कुमार अन्याव पुत्र नवरतमल ओसवाल निवासी वर्धमान स्कूल के पास बालोतरा जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार पचपदरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 28.12.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति दिनांक 09.11.2022 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 104 दिनांक 12.12.2022 द्वारा लिखा जा चुका है। लिहाजा प्रस्तुत अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत अपील, रेस्पोडेंट के जवाब एवं रेस्पोडेंट द्वारा जारी पत्राचार का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील में तहसीलदार पचपदरा द्वारा जारी नामान्तरकरण आदेश क्रमांक/भू.अ./10/4918 दिनांक 28.09.2010 की प्रति चाही गई है जिसकी अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नामान्तरकरण संख्या 798 के कॉलम संख्या 14 में अंकित आदेश जिसकी पालना में नामान्तरकरण दायर किया गया है की प्रति नियत शुल्क अदायगी पर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हों।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर